कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सम्भल स्थित चन्दौसी।

प्रशासनिक आदेश सं0-133/2020 दिनांक 04.06.2020

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 1117/LXXXVII-CPC/e-Court Allahabad Dated 03.06.2020 के अनुपालन में दिनांक 08.06.2020 से जनपद न्यायालय सम्भल स्थित चन्दौसी के सभी न्यायालयों में उक्त वर्णित पत्र में दिये गये निर्देशों के अधीन न्यायिक कार्य सम्पादित किये जाने हेतु न्यायालयों को खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

सभी न्यायालयों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 484/इन्फ्रा. सेल इलाहाबाद, दिनांकित 30.05.2020 में दिये गये वादों को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई हेतु कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

अण्डर ट्रायल बन्दियों का रिमाण्ड सम्बन्धित कार्य विडियो कान्फ्रेसिंग अथवा JITSI साफ्टवेयर के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा।

नये वाद/प्रार्थना पत्र केन्द्रीयकृत कम्प्यूटर कक्ष में प्राप्त किये जायेंगे। प्रार्थना-पत्रों पर विद्वान अधिवक्ता का पूर्ण विवरण मय मोबाइल नम्बर अंकित होगा, जिससे कोई कमी होने पर सम्बन्धित अधिवक्ता को सूचित किया जा सके।

जनपद न्यायालय की ई-मेल पर भी जमानत प्रार्थना-पत्र/अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र व लिखित बहस वैकल्पिक आधार पर प्रेषित किये जा सकते हैं।

सभी न्यायालय कक्षों में 4 कुर्सियां पर्याप्त दूरी पर इस प्रकार से रखी जायें, जिससे कि उचित सोशल डिस्टेंन्सिंग कायम रखी जा सके। न्यायालय कक्ष में सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करना होगा तथा न्यायालय कक्ष के मुख्य गेट पर सेनीटाइजर का प्रबन्ध किया जायेगा। न्यायालय के रीडर व लिपिक आदि कर्मचारीगण भी सोशल डिस्टेन्सिंग गाइडलाइंस का पालन करेंगे।

न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, पक्षकार/विद्वान अधिवक्तागण की एक समय में न्यायालय कक्षों में कम से कम उपस्थिति के लिए समुचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय कक्ष में अतिरिक्त व्यक्तियों का प्रवेश बन्द कर सकते हैं, जिससे सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश शासन व केन्द्रीय सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिये दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।

अतः दिनांक 08.06.2020 से जनपद न्यायालय सम्भल स्थित चन्दौसी के सभी न्यायालय व कार्यालय खोले जायेंगे, इसलिए जनपद न्यायालय में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारीगण व तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण अपने-अपने न्यायालय व कार्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अपना-अपना कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की एक प्रतिलिपि जनपद न्यायालय की ऑफिसियल बेबसाइट पर अपलोड की जाये तथा एक प्रतिलिपि जिला सूचना अधिकारी, सम्भल को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि समस्त समाचार-पत्रों में इस आदेश का प्रकाशन करायें।

नोटः- उपरोक्त समस्त व्यवस्था बाह्य न्यायालय सम्भल एवं बाह्य न्यायालय गुन्नौर में भी पीठासीन अधिकारी/उपनाजिर द्वारा करायी जानी सुनिश्चित कि जाये।

प्रभारी जनपद न्यायाधीश, 4/6/2020
सम्भल स्थित चन्दौसी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण,
2. जिलाधिकारी, सम्भल,
3. पुलिस अधीक्षक, सम्भल,
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल,
5. अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद,
6. संयुक्त निदेशक, अभियोजन, सम्भल,
7. जनपद सम्भल की सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्षगण को,
8. जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी), सम्भल,

प्रभारी जनपद न्यायाधीश 4/6/2020
सम्भल स्थित चन्दौसी।